

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

मीना देवी वगै० बनाम अर्जुन लाल वगै०

CJCMS-2025/26

वाद पत्र धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

फर्दमा नम्बर :-

B/2025

विशेष विवरण

म
ख्या

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

17.01.2025

वकील वादीया ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को पेश हो।

30/1/25

वकील वादीया ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को पेश हो।

31/1/25

वकील वादीया ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को पेश हो।

7/3/25

वकील वादीया ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को पेश हो।

10/3/25

व.वाडी उप.० पत्रावली बरतनगर तलबी में रखकर आगामी दिनांक 28/3/25 को पेश हो।

28/3/25

व.वाडी उप.० पत्रावली बरतनगर तलबी में रखकर आगामी दिनांक 17/4/25 को पेश हो।

17/4/25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय को धाम लमाह होने तक वकील वाडी को वाद-बाद आवाज-दिलारी गयी। वकील वाडी अलायन व कालान्त अनुपस्थित है अतः पत्रावली अडम-बापरी अडम फेरु में खारिज की जाती है। पत्रावली दफ्तर गवर-ले कर दे तथा डाकिल इफ्त हो।

प्रतिवादी - अर्जुन लाल की ओर से
प.प. Bhaugwati Singh
Advocate
17/4/2025

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)